3/20

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 04AE 519647

202000996000233

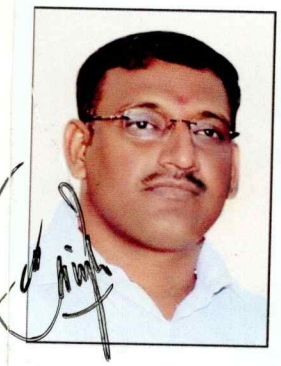

पूरक ट्रस्ट डीड

छत्रबली सिंह पुत्र श्री वकील सिंह निवासी ग्राम वेन तियरी, तहसील चकिया, जिला चन्दौली (मो0नं0 8765128700, पेशा- व्यापार)।

.....प्रथम पक्ष/प्रधान ट्रस्टी

व

सुनील सिंह पुत्र स्व0 रामबहादुर सिंह निवासी ग्राम वेन तियरी, तहसील चकिया, जिला चन्दौली (मो0नं0 9454001245, पेशा- व्यापार)।

.....द्वितीय पक्ष/सहायक ट्रस्टी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 04AE 519648

(2)

व

श्यामजी सिंह पुत्र श्री वकील सिंह निवासी ग्राम वेन तियरी, तहसील चकिया, जिला चन्दौली (मो0नं0 8765128788, पेशा- व्यापार)।

.....तृतीय पक्ष/सहायक ट्रस्टी

व

श्रीमती सरिता सिंह पत्नी छत्रबली सिंह निवासिनी ग्राम वेन तियरी, तहसील चकिया, जिला चन्दौली (मो0नं0 8765128709, पेशा- सोशल वर्क)।

.....चतुर्थ पक्ष/ ट्रस्टी

विदित हो कि एक ट्रस्ट डीड स्व0 राम विलास सिंह शिक्षण संस्था के नाम से पंजीकृत हुई है जिसका पंजीकरण दिनांक 17.12.2012 ई0 को बही सं0 4 जिल्द सं0 95 के पृष्ठ सं0 309 से 342 पर क्रमांक 373 पर उपबिनंधक तृतीय, वाराणसी के कार्यालय में पंजीकृत है और उक्त ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय

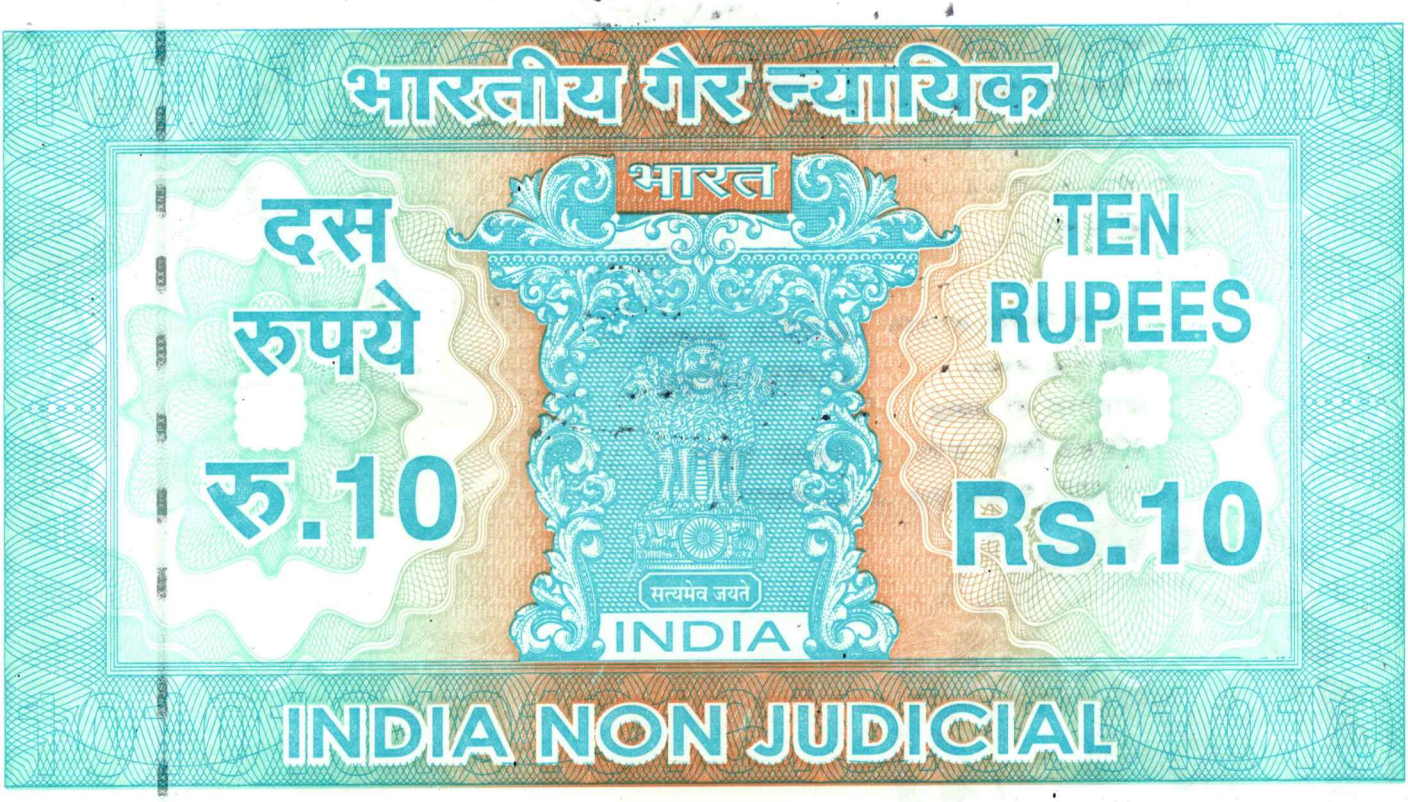

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 04AE 519649

एस.24/11-आर-ओ-वी-एस, मारकण्डेश्वर नगर, टकटकपुर, वार्ड सिकरौल, वाराणसी में स्थित है। उपरोक्त ट्रस्ट डीड में प्रथम पक्ष प्रबन्ध ट्रस्टी है और उपरोक्त ट्रस्ट डीड के दफा 8.12 में नये ट्रस्टी की नियुक्ति एवं दफा 8.13 में किसी ट्रस्टी के त्याग पत्र देने व उसे स्वीकार करने एवं दफा 8.14 में किसी ट्रस्टी के हटाने की व्यवस्था दी गयी है। उक्त ट्रस्ट के संस्थापक एक ट्रस्टी श्री रामबहादुर सिंह ने दिनांक 05.07.2014ई0 को अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है जो स्वीकार कर लिया गया है और उनके स्थान पर द्वितीय पक्ष सुनील सिंह को नये सहायक मैनेजिंग ट्रस्टी के रुप में नियुक्त किया गया है और एक नये ट्रस्टी श्रीमती सरिता सिंह यानी चतुर्थ पक्ष को ट्रस्टी पद पर नियुक्त किया गया है। मूल ट्रस्ट डीड दिनांकित 14.12.2012 जिसका पंजीकरण दिनांक 17.12.2012 को हुआ है, के दफा 8.21 में ट्रस्ट डीड में संशोधन का भी व्यवस्था दी गयी है, जिसके अनुसार सर्वसम्मति से दिनांक 16.11.2019 ई0 को ट्रस्ट डीड में संशोधन किया गया है, जिसके सम्बन्ध में एक पूरक ट्रस्ट डीड लिखा जाना आवश्यक है, लिहाजा ट्रस्ट

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 04AE 519650

डीड में जो संशोधन सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है, जो नीचे वर्णित है। लिहाजा यह पूरक ट्रस्ट डीड निम्न संशोधन के बावत समक्ष गवाहान लिखकर निम्न व्यवस्था दी जा रही हैः-

1. यह कि मूल ट्रस्ट डीड दिनांकित 14.12.2012 जिसका पंजीकरण दिनांक 17.12.2012 को हुआ है, के दफा 6.3 को निम्न प्रकार से पढ़ा जाय–

6.3- मैनेजिंग ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि वे अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को अपने उत्तराधिकारी के रुप में मैनेजिंग ट्रस्टी के पद पर पूर्व में लिखित मनोनीत कर सकते हैं, जो उनके जीवनकाल के समाप्त होने के उपरान्त बतौर मैनेजिंग ट्रस्टी के रुप में कार्य करेगा/करेगी। इस संदर्भ में उनके ज्येष्ठ पुत्र को प्राथमिकता मिलेगी परन्तु यदि ज्येष्ठ पुत्र पद पर कार्यभार ग्रहण करना अस्वीकार कर दे या और कोई अन्य अपरिहार्य कारण हो और यह सम्भव न हो सके तो ऐसी दशा में

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

04AE 519651

प्रथम मैनेजिंग ट्रस्टी की धर्मपत्नी अपने जीवन पर्यन्त तक इस पद का अधिकार होगा कि वो अपने पद पर पूर्व में लिखित मनोनीत कर सकते/सकती है। यदि कोई पुत्र नहीं होता है (लड़कियों को छोड़कर) तो उस परिस्थिति में अन्य दो सहायक ट्रस्टीयों के पुत्रों में से उस समय का प्रधान ट्रस्टी स्वविवेकानुसार सहायक ट्रस्टीयों के पुत्रों में से ही किसी योग्य को प्रधान ट्रस्टी नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त होगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दोनों सहायक ट्रस्टीयों पर ट्रस्ट नियमावली की क्रम सं0 6.3 भी प्रभावी होगें।

2. यह कि मूल ट्रस्ट डीड के दफा 6.4 के पश्चात निम्न संशोधन सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है–

6.5- प्रधान ट्रस्टी द्वारा स्वयं अथवा कार्य विस्तार होने पर दोनों सहायक ट्रस्टीयों को संयुक्त रुप से कार्यभार का सफल

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 04AE 519652

संचालन करने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य का कार्यभार दिया जा सकता है तथा दोनों सहायक ट्रस्टीयों के अलावा वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्य हेतु शेष अन्य ट्रस्टी को प्रभार देने हेतु ट्रस्ट की बैठक में सभी ट्रस्टीयों के 75 प्रतिशत से अधिक बहुमत प्राप्त होने पर ही वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यभार दिया जा सकता है। ट्रस्टीयों के अलावा अन्य किसी व्यक्ति/ कर्मचारी को वित्तीय, प्रशासनिक कार्य का प्रभार देने हेतु ट्रस्ट की बैठक में सभी ट्रस्टीयों के 75 प्रतिशत से अधिक बहुमत पर ही दिया जा सकता है। परन्तु यह प्रभार अस्थाई रुप से ही प्राप्त होगा तथा उस नियुक्त व्यक्तियों/ कर्मचारियों को ट्रस्ट की बैठक में सभी ट्रस्टीयों के 51 प्रतिशत बहुमत से उसे वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यों से हटाया या मुक्त किया जा सकता है। व्यक्ति/ कर्मचारी की नियुक्ति तभी ट्रस्ट की बैठक में प्रस्तावित

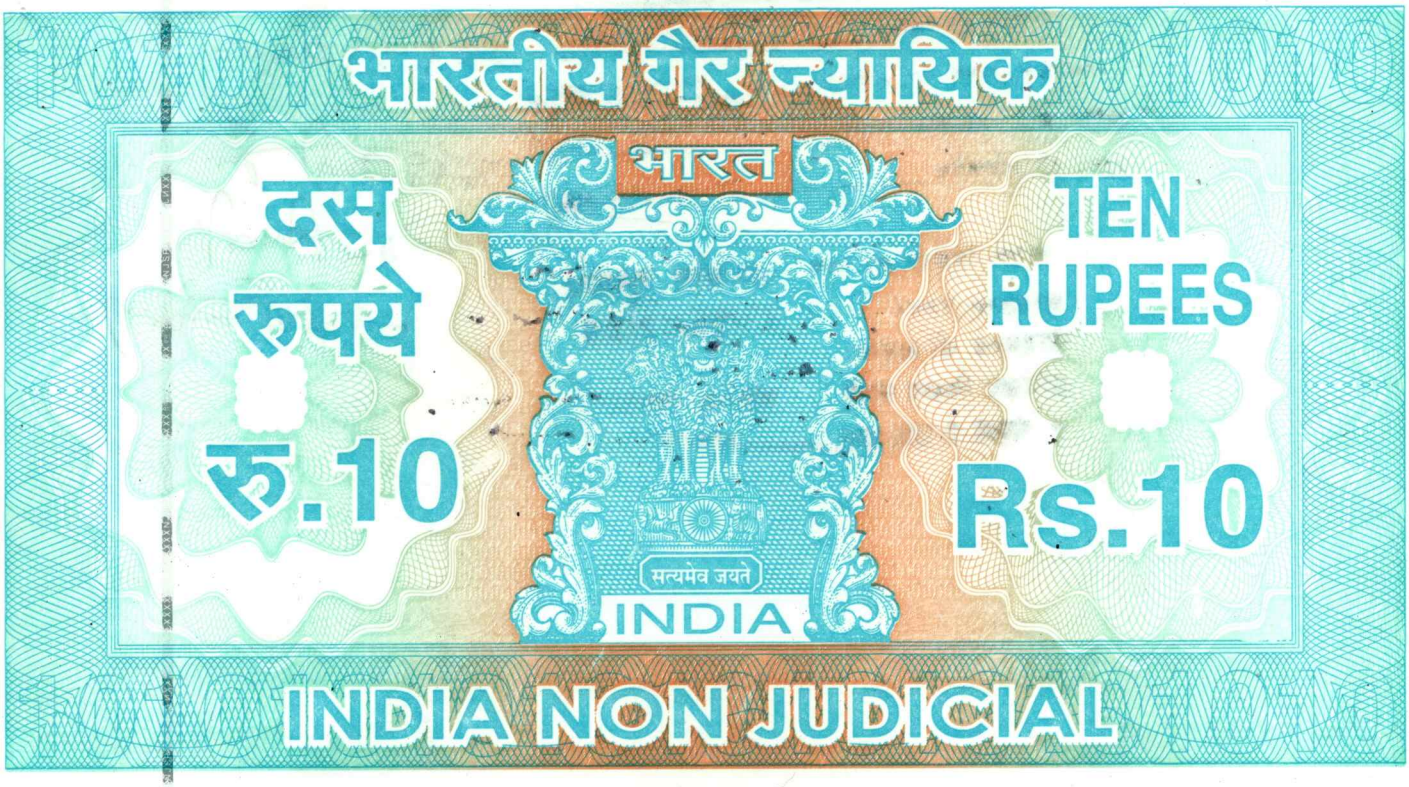

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 04AE 519653

होगी जब दोनों सहायक ट्रस्टी द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य से लिखित असमर्थता जतायी जाने पर।

3. यह कि मूल ट्रस्ट डीड के दफा 8.4, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.18, 8.20 को निम्न प्रकार से संशोधित किया गया है–

8.4- चल सम्पत्ति एवं अचल सम्पत्ति- समय-समय पर अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए अचल सम्पत्ति को इस शर्त के अनुसार खरीदा या अधिगृहित किया जा सकता है और उसे बेचा या निस्तारित किया जा सकता है। किन्हीं कारणों से यदि ट्रस्ट को बन्द किया जाता है तो सर्वप्रथम उधारी की देनदारी के उपरान्त प्रधान ट्रस्टी एवं दोनों सहायक ट्रस्टीयों (सभी तीनों ट्रस्टीयों) का चल-अचल सम्पत्ति पर बराबर-बराबर का अधिकार होगा।

8.12- नये ट्रस्टी की नियुक्ति- ऐसा व्यक्ति जो सक्षम एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों के प्रति समर्पित हो, को नियुक्त करने का अधिकार

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये ₹.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 04AE 519654

होगा। नये ट्रस्टी को नियुक्त करने/ हटाने का अधिकार प्रधान ट्रस्टी के पास होगा, परन्तु 75 प्रतिशत से अधिक बहुमत ट्रस्ट की बैठक से प्राप्त होने पर।

8.13- ट्रस्टी के द्वारा त्याग पत्र- यदि उचित लगे तो किसी ट्रस्टी के लिखित त्याग पत्र को स्वीकार करने का अधिकार होगा। किन्तु 6.3 के ट्रस्ट के नियमों का पालन किया जायेगा।

8.14- ट्रस्टी को पद से हटाना- प्रधान ट्रस्टी एवं सहायक (दोनों) ट्रस्टीयों को छोड़कर शेष ट्रस्टीयों को 75 प्रतिशत बहुमत पर हटाया जा सकता है तथा प्रधान ट्रस्टी एवं दोनों सहायक ट्रस्टी के मानसिक विक्षिप्त एवं दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में क्रम सं0 6.3 के अनुसार कार्यवाही प्रभावी होगी।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 04AE 519655

8.15- <u>कमिटियां</u>- प्रधान ट्रस्टी द्वारा विभिन्न प्रकार की उपसमीतियां बनाकर एवं उन समीतियों की सिफारिश पर इस ट्रस्ट के प्रशासनिक कार्य हेतु नियमावली तैयार की जायेगी। समिति के अध्यक्ष सहायक ट्रस्टी ही होगें। नियमावलियों को ट्रस्ट की बैठक में उपस्थित सभी ट्रस्टीयों के 75 प्रतिशत से अधिक सहमति पर लागू/ संशोधित/ हटाया जा सकता है। उक्त नियमावलियों का पालन न करने पर दोषी व्यक्ति/ कर्मचारी को प्रधान ट्रस्टी द्वारा जांच समिति के रिपोर्ट के उपरान्त निलम्बन/ निष्कासन की कार्यवाही की जा सकती है। (जांच समिति में किसी एक सहायक ट्रस्टी/ ट्रस्टी एवं ट्रस्ट के दो उच्च पदाधिकारियों का रहना अनिवार्य होगा। जांच समिति की रिपोर्ट से सहमत/ संतुष्ट न होने पर प्रधान ट्रस्टी सहायक ट्रस्टीयों से पुनः जांच करा सकते/ सकती है। जांच रिपोर्ट के

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
दस रुपये
रु.10
TEN RUPEES
Rs.10
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
04AE 519656

उपरान्त निलम्बन/ निष्कासन की कार्यवाही पर ट्रस्ट की बैठक से अनुमोदन अनिवार्य नहीं होगा।

8.18- बैंक एकाउन्ट- मैनेजिंग ट्रस्टी के एकल हस्ताक्षर के अन्तर्गत संचालित होने वाले बचत/ चालू खाते को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के नाम पर या उसके किसी प्रोजेक्ट के नाम पर खोलने, चलाने एवं बन्द करने का अधिकार होगा एवं संयुक्त खाता संचालन के लिये नामित करने/ वापस करने का अधिकार प्रधान ट्रस्टी के पास होगा।

8.20- ट्रस्ट की सभी परिनियमावली में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिये सभी ट्रस्टीयों में से 75 प्रतिशत से अधिक बहुमत प्राप्त होने पर ही संशोधन किया जा सकता है, परन्तु रजिस्ट्रेशन के समय सभी 100 प्रतिशत ट्रस्टीयों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 04AE 519657

रजिस्ट्रेशन के समय किसी ट्रस्टी के उपस्थित न होने पर ट्रस्ट के नियमों के अनुसार ट्रस्टी को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

4. यह कि किसी चल या अचल सम्पत्ति का अन्तरण या निस्तारण इस प्रलेख द्वारा नहीं किया जा रहा है और न ही कोई भार ही आरोपित किया जा रहा है।

5. यह कि इस पूरक ट्रस्ट डीड की सभी शर्तों को उभय पक्षों ने अच्छी तरह से पढ़ व पढवाकर सुन व समझ लिये हैं तथा उससे पूरी तरह से संतुष्ट हो चुके हैं, लिहाजा यह पूरक ट्रस्ट डीड पक्षगण ने समक्ष गवाहान लिख दिया गया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

दिनांकः 03.01.2020

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 04AE 519658

गवाहान-

1. नामः विनय कुमार

   पिता का नामः रामधारी सरोज

   पताः ग्राम कन्धरपुर, पोस्ट मुरादगंज, जौनपुर

   मो0नं0: 9628261356

   हस्ताक्षरः

2. नामः रामप्रकाश

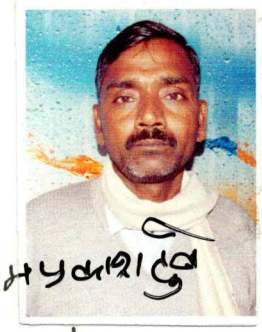

   पिता का नामः जगेश्वर प्रसाद द्विवेदी

   पताः ग्राम व पोस्ट पनवाड़ी, पनवारी, जिला महोवा

   मो0नं0: 9628261356

   हस्ताक्षरः रामप्रकाश द्विवेदी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

04AE 519659

(13)

मसविदाकर्ता:

अभयनाथ यादव, एडवोकेट,
दीवानी कचहरी, वाराणसी।
मो0नं0 9450960866

टाइपकर्ता:

ए0के0 कम्प्यूटर
दीवानी कचहरी, वाराणसी।

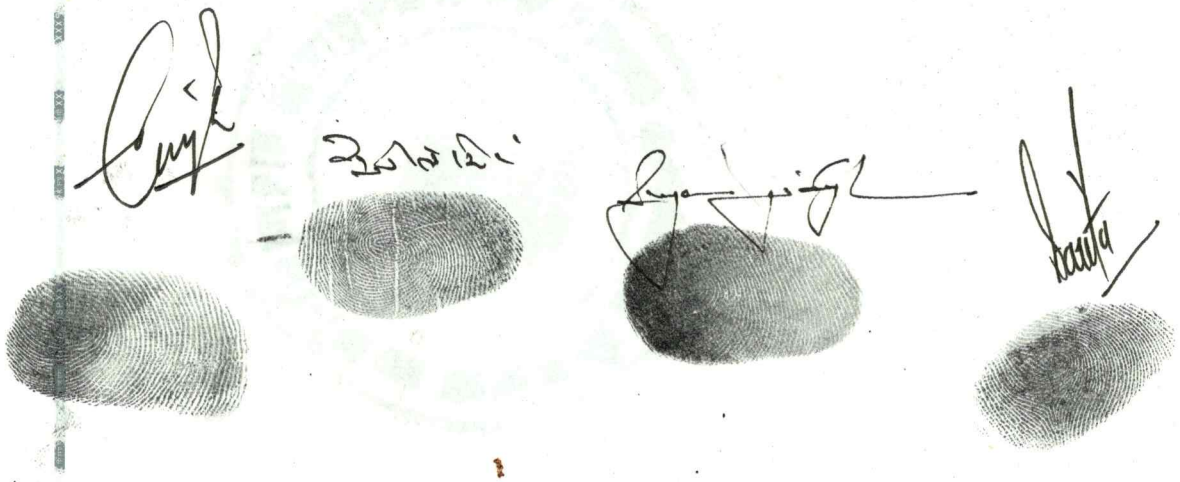

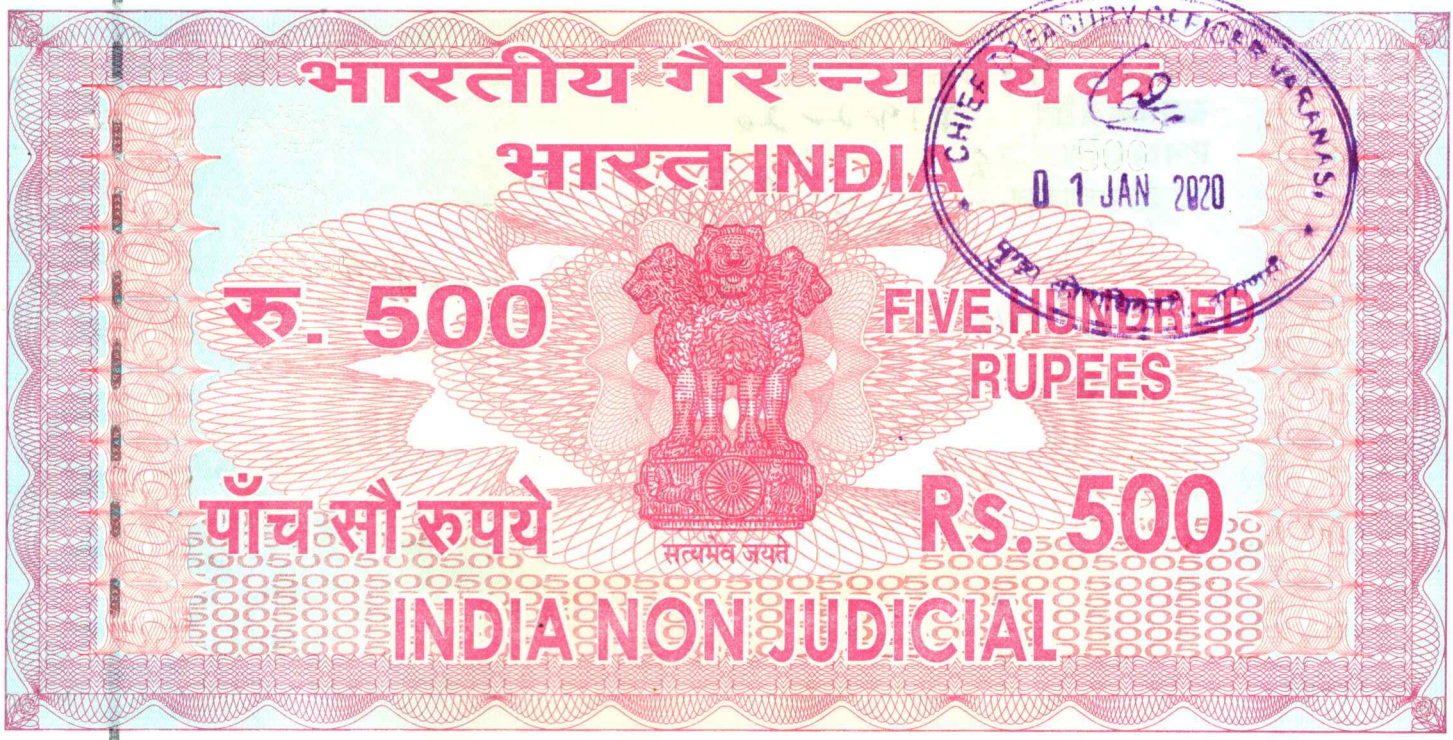

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500
FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये
Rs. 500
सत्यमेव जयते
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 106565

CHIEF TREASURY OFFICER VARANASI
01 JAN 2020

यह कि पूरक न्यास पत्र में वर्णित न्यास से कोई अचल सम्पत्ति निहित नहीं है।